



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102021-230498
CG-DL-E-18102021-230498

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3955]
No. 3955]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 2021/आश्विन 26, 1943
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASVINA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4304(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट जोधपुर रिंग रोड (सेक्शन-II नागौर रोड-डांगियावास) के किमी 0.00 किमी से 30.093 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग जोधपुर रिंग रोड (सेक्शन-II नागौर रोड-डांगियावास) के किमी 0.00 किमी से 30.093 किमी तक तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उप खण्ड अधिकारी (उत्तर)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राजस्थान	जोधपुर	जोधपुर	1 कड़वड़

राजेश गुप्ता, निदेशक

	Jodhpur					3	Thabukra
						4	Jajiwal Bhatiyani
						5	Jajiwal Gehlotan
						6	Jajiwal Shree Balaji
						7	Jajiwal Jakhara
						8	Lordi Panditji
						9	Ralawas
						10	Suraj Basni
						11	Bawarla
						12	Pratapnagar
						13	Dangiyawas
						14	Jajiwal Bhatiyani Chak Virmalai
						15	Jajiwal Bhatiyani Chak Kathora

[F. No. NHAI/PIU-Jod/JRR-II/3(a)]

RAJESH GUPTA, Director